

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4729
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीयों के लिए आगंतुक वीज्ञा की अस्वीकृति दर

4729. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भारतीय आवेदकों के लिए आगंतुक वीज्ञा की बढ़ती अस्वीकृति दरों को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास विगत पांच वर्षों में इन देशों में भारतीय आवेदकों के लिए वीज्ञा अस्वीकृति दरों के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय भारतीय यात्रियों के लिए वीज्ञा प्रक्रिया को सरल बनाने तथा अस्वीकृति दर को कम करने के लिए इन देशों की सरकारों के साथ किस प्रकार समन्वय करता है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (घ) वीज्ञा संबंधी नीतियों का निर्माण संबंधित देश का संप्रभु मामला है जिसमें वीज्ञा की स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल है। तथापि, वीज्ञा संबंधी मामले सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ कोंसली वार्ता और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान उठाए जाते हैं जिसमें विशेष रूप से यात्रा को आसान बनाने और भारतीय नागरिकों के लिए वीज्ञा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई वीज्ञा नीतियाँ शामिल हैं।

(ख) और (ग) वीज्ञा जारी करने या अस्वीकार करने का विवरण केवल संबंधित सरकारों के पास उपलब्ध है, तथा इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकट नहीं किया गया है/उपलब्ध नहीं है।
